

प्रेमम्,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ नण्डल आजमगढ़।

प्रति,

सचिव,
कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।


संख्यांक - एनओओसीओ / _____ / 2012-13 दिनांक : 28 जुलाई, 2012

विषय : परवेज खान साजिदा पब्लिक स्कूल, ग्राम-ताजपुर, पोस्ट- चिरैयाकोट, जनापद-मऊ की सीओबीओएसओईओ, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

शुद्धेदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीओबीओएसओईओ, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अर्थात् अनापत्ति नहीं है -

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता हेतु एनओओसीओ, नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण सहायकों के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिए जायेगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अथवा पीए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुनय सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।



(2)

2-- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी संस्था में पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(सूरज नारायण मिश्र)

सदस्य सचिव/संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

पु०सं०/एन०ओ०सी०/ 1582-90 /2012-13 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

- 1.सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2.आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- 3.शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4.जिलाधिकारी, मऊ।
- 5.जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ।
- 6.निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7.प्रबन्धक, परवेज खान साजिदा पब्लिक स्कूल, ग्राम-ताजपुर, पोस्ट- विरैयाकीट, जनपद-मऊ।
- 8.गार्ड फाइल।

(सूरज नारायण मिश्र)

सदस्य सचिव/संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।